...ालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 117/2022

लाड़ देवी पत्नि विरेन्द्र कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

01 केसा पुत्र भिखारी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सोपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

02 डालु पुत्र ईशर जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सोपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

03 शंकरलाल पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सोपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

04 कैलाशचन्द्र पुत्र अम्बालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

05 गोपाललाल पुत्र कैलाशचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

06 नन्दलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

07 रामलाल पुत्र मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 30-5-2022

प्रार्थना पत्र **लाड़ देवी पत्नि विरेन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफुल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी संख्या 138, 139, 139/1 कुल किता 03 रकबा 1.4327 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर कि **मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में** खाता संख्या 185 पर **अंकित आराजी संख्या** 138, 139, 139/1 **कुल किता** 03 रकबा 1.4327 **हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ